न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. राजाराम पुत्र सहीराम 2. रमेश कुमार पुत्र सहीराम जाति विश्नोई नि. सारणपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर		सहीराम पुत्र नरसींगाराम जाति विश्नोई नि. सारणपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर

दावा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 228/2019

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री मदनगोपाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 04/03/2020

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है वादीगण एवं तिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम सारणपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला धपुर के खेत खसरा नम्बर 319/1 रकबा 63–06 बीघा काश्त भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण के दादा व प्रतिवादी के पिता नरसिंगाराम पुत्र रूपाराम के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के प्राप्त हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की यन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से हक निहित हो जाता है वादीगण को प्रतिवादी के साथ उक्त वादग्रस्त भूमि में संयुक्त खातेदार श्तकार घोषित किया जावे। वादीगण ने वाद के साथ जमाबंदीया, नामांतरकरण की प्रतिलिपि इत्यादि तावेजात् प्रस्तुत किये।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मदनगोपाल शर्मा ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया और बालिया जवाब प्रस्तुत करते हुवे वादीगण का वाद को माफ़िक इस्तदुआ डिक्री किये जाने का दन किया। जो शामिल मिसल किये गये। वादीगण ने साक्ष्य के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत सुरपुरा जारी प्रतिवादी का वारिस प्रमाण पत्र व गवाह सहीराम का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल ल किया गया। वाद का प्रतिवादी की तरफ से विरोध नहीं किया गया इसलिये तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। इसलिये पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बताया कि गण एवं प्रतिवादी की सामलाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम सारणपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील जिला जोधपुर के खेत ख़सरा नम्बर 319/1 रकबा 63–06 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में गण एंव प्रतिवादी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी को उक्त भूमि जरिये विरासत के हुई है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी की जायन्दा संतानें है इसलिये उनका उक्त वादग्रस्त भूमिं में उतराधिकार अधिनियम के तहत जन्म से ही हक निहित हो जाता है। इसलिये वादीगण को वादी के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिक्री जावे।

वकुलाय पक्षकारान् की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन जिससे साबित है उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी की पुश्तैनी काश्त भूमि है जो वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य नामांतरकरण व सरंपच पंचायत सुरपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र से साबित हैं। वादीगण प्रतिवादी के जाईन्दा पुत्र है। सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिवादी ने स्वीकार किया है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का उक्त ग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है इसी अनुसार वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया न्यायोचित है। वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है ग्राम सारणपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला पुर के खेत खसरा नम्बर 319/1 रकबा 63–06 बीघा की काश्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिक्री पर्चा अलग से हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/3/2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर) राज.

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

इजलास श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण

. राजाराम पुत्र सहीराम
. रमेश कुमार पुत्र सहीराम
जाति विश्नोई नि. सारणपुरा
तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादी

सहीराम पुत्र नरसींगाराम
जाति विश्नोई नि. सारणपुरा
तहसील बाप जिला जोधपुर

ावा बाबत् 88 आर.टी.एक्ट मुकदमा संख्याः– 228/2019

ह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे
हाजिर वादीगण की और से राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजनिब मुदई व प्रतिवादी की और से मदनगोपाल र्मा मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम सारणपुरा टवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप जिला जोधपुर के खेत खसरा नम्बर 319/1 रकबा 63–06 बीघा मि की काश्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी के साथ संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त भूमि पूर्व अनुसार रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार बाप माफिक ादेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। निचे

तालिक बाबत

र्चा इस मुकदमे मय शूद व शहर फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/03/2020 जारी की गई।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर आर.ए.एस.
बाप सहायक कलक्टर, राज.
बाप (जोधपुर)

हर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
ाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
ाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वजह सबू			मेहनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चावाहन		
र्चा गवाहन			फीस कमीश्नंर		
स कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बत इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

ट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2020.06.09 13:59:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: